



आयुष्मान भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश
(दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद्)



क्रमांक./एस.एच.ए./ए.बी./2019/351
प्रति,

भोपाल, दिनांक 21/10/2019

आयुक्त,
चिकित्सा शिक्षा विभाग
सतपुडा भवन भोपाल म.प्र.।

विषय:- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने वाले चिकित्सा महाविद्यालयों को 10% प्रोत्साहन राशि प्रदान करने विषयक।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत अवगत हों कि दिनांक 06/09/2019 को प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार ऐसे चिकित्सा महाविद्यालय, जिनमें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है एवं उनसे संबंधित चिकित्सालयों को NABH accreditation नहीं मिला है, उनको 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदाय करने का प्रावधान किया जाता है।

उक्त निर्णय दिनांक 14.10.2019 समय 03:38 pm के पश्चात पंजीकृत प्रकरणों (Pre-authorization) पर प्रभावशील होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अनुमोदित

(डॉ. जे. विजयकुमार)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र.

पृ0/क्रमांक/एस.एच.ए./ए.बी./2019/352
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ

भोपाल, दिनांक 21/10/2019

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश
3. आयुक्त, स्वास्थ्य, सतपुडा भवन भोपाल, मध्यप्रदेश शासन।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल।
5. समस्त डीन शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
6. कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश।
7. वित्त अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र.